Indian Streams Reserach Journal
Vol.2,Issue.II/ March; 12pp.1-4  ISSN:-2230-7850

Research Papers

# भारतीय समाज में दलितों पर अत्याचारों की स्थिति : ऐतिहासिक एवं वर्तमान

**डॉ. सुनिल धावने**
डॉ. बाबासाहेब आम्बेडकर
राष्ट्रीय सामाजिक विज्ञान संस्थान,
डॉ. आम्बेडकर नगर (महू)

## प्रस्तावना :—

स्वतन्त्रता की आधी सदी से अधिक बीत जाने के पश्चात् भी अनुसूचित जाति वर्ग इतना पीड़ित है कि वह अंग्रेज शासन काल की समाज व्यवस्था को अच्छा मानता है। वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या में करीब 22 करोड़ अनुसूचित जाति की जनसंख्या है। परन्तु, सैकड़ों कानूनों, आर्थिक विकास योजनाओं के चलते यह समाज बदहाली से अपना जीवन व्यतीत कर रहा है। अनुसूचित जाति वर्ग प्रत्येक क्षेत्र में उपेक्षित रहा है। सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक, शैक्षणिक और औद्योगिक क्षेत्र में अपेक्षा के अनुरूप इनको न्याय नहीं मिल पाया है।

वर्तमान में देश के बदलते राजनैतिक समीकरणों के साथ अगर एक तरफ अल्पसंख्यकों पर हमलों में वृद्धि हुई है तो दूसरी तरफ अनुसूचित जाति पर अत्याचारों में भी वृद्धि हुई है।

भारत एक विशाल देश है जिसमें अनेक धर्म, सम्प्रदाय, प्रजाति के लोग निवास करते हैं। सन् 2001 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या 1027015 हजार जिसमें स्त्रीयों की जनसंख्या 495738 हजार एवं पुरूषों की जनसंख्या 531277 हजार है। भारत की कुल जनंसख्या में अनुसूचित जाति की जनसंख्या का प्रतिशत 16.25 है। भारत के मध्य में स्थित मध्यप्रदेश जिसकी सन् 2001 की जनगणना के अनुसार कुल जनसंख्या 60385 हजार, जिसमें पुरूषों की जनसंख्या 31457 हजार एवं महिलाओं की जनसंख्या 28928 हजार है। मध्य प्रदेश की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जाति की जनसंख्या का प्रतिशत 15.17 है। मध्य प्रदेश के मालवा में स्थित इन्दौर जिला जिसकी कुल जनसंख्या वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार 2,465,827 है जिसमें पुरूषों की जनसंख्या 12,89,352 एवं महिलाओं की जनसंख्या 1,176,475 है इसमें अनुसूचित जाति की कुल जनसंख्या 388,459 है। जिसमे पुरूषो की 200,344 एवं महिलाओं की जनसंख्या 188,115 है। 0 से 6 वर्ष आयु समूह की कुल जनसंख्या 369,546 है । जिसमे पुरूषो की जनसंख्या 193,653 एवं महिलाओं की जनसंख्या 175,893 है ।

''अत्याचार'' शब्द की किसी भी कानून में परिभाषा नहीं की गई है। अतः सरकार अनुसूचित जाति के विरूद्ध अपराध पद का प्रयोग करती रही है और कर रही है। अनुसूचित जाति अत्याचार से यहाँ आशय सभी प्रकार के अन्याय, शोषण, पीड़ा व त्रास से है, जो समाज के उच्चवर्गीय, साधन सम्पन्न व राजनैतिक व्यक्ति के इशारों पर निम्न व कमजोर वर्गों जो अपनी रक्षा करने में असमर्थ होते है उन पर ढाये जाते हैं। इसमें निन्दा, गाली, धमकी, सामाजिक बहिष्कार से लेकर बेगार करना, सम्पत्ति से बेदखल करना, शासन द्वारा आवंटित भूमि पर कब्जा न देना तथा शारीरिक क्षति पहुँचाना जिसमें मारना, पीटना, हत्या, बलात्कार, अस्पृश्यता आगजनी एवं सम्पत्ति नष्ट करना आदि शामिल है।

भारत सरकार गृह मंत्रालय ने सन् 1974 से ऐसे अपराधों के आँकड़ें एकत्र करना आरंभ किया और बताया कि अनुसूचित जाति पर हो रहे अत्याचारों को चार श्रेणी में बाँटा गया है — हत्या, गंभीर चोट, आगजनी और बलात्कार। इसके बाद इन आँकड़ों के संकलन में भारतीय दण्ड संहिता के ऐसे सभी अपराध सम्मिलित हुए जिनमें अनुसूचित जाति एवं जनजातियों के व्यक्ति पीड़ित हुए।

शोध प्रविधी

किसी भी कार्य को संपन्न करने के लिये पूर्व से ही इसकी विधीवत रूप रेखा तैयार की जाती है । जिसमें अनुसंधान समस्या का चयन एवं सूची करण, अध्ययन का निरूपण, अध्ययन की ईकाई, समग्र का निर्धारण, तथ्यों का संकलन, अध्ययन की सीमा, अध्ययन में आने वाली कठनाईयों को शामिल किया गया है । इसके अन्तर्गत वैज्ञानिक पद्धति द्वारा तैथ्यों का विश्लेषण किया गया है। जिसमें इन्दौर जिले के अनुसूचित जाति, जनजाति विशेष पुलिस थाने में सन् 2001 से 2008 तक कुल 1102 प्रकरण अनुसूचित जाति के विरूद्ध दर्ज हुये उसमें से सन् 2001 से 2005 तक के कुल 742 प्रकरणों में से 200 प्रकरणों का चयन देव निर्देशन पद्धति की लाटरी

**Please cite this Article as:** *डॉ. सुनिल धावने ,भारतीय समाज में दलितों पर अत्याचारों की स्थिति : ऐतिहासिक एवं वर्तमान* **: Indian Streams Research Journal (March ; 2012)**

Indian Streams Reserach Journal
Vol.2,Issue.II/ March; 12pp.1-4

विधि द्वारा चयन कर अध्ययन किया गया ।

***अध्ययन के उद्देश्य :–***

उत्पीड़ित व्यक्ति की सामाजिक,आर्थिक, सांस्कृतिक स्थिति का विश्लेषण। अत्याचारों के प्रकार एवं प्रकृति का अध्ययन, अत्याचारों की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, एवं पूर्व तथा पश्चात की स्थिति का आकलन, उत्पीड़ितों के साथ प्रशासन, कानून की भूमिका एवं अन्य कार्य प्रणालीयों, उत्पीड़ितों के पुनर्वास एवं राहत कार्यों की विवेचना करना ।

***अत्याचार की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि :–***

पेशवाओं के शासन काल में महाराष्ट्र देश में यदि कोई सवर्ण हिन्दू सड़क पर चल रहा हो तो अछूत को वहाँ चलने की आज्ञा नहीं होती थी, ताकि उसकी छाया से वह हिन्दू कहीं भ्रष्ट न हो जाए । अछूत को अपनी कलाई पर या गले में निशानी के तौर पर एक काला डोर बाँधना पड़ता था ताकि हिन्दू उसे भूल से स्पर्श न कर बैठें । पेशवाओं की राजधानी पूना में अछूतों के लिए राजा की आज्ञा थी कि वे कमर में झाड़ू बाँधकर चलें । चलने से भूमि पर उनके पैरों के जो चिन्ह बनें उनको उस झाड़ू से मिटाते जाएँ ताकि कोई हिन्दू उन पद–चिन्हों पर पैर रखने से अपवित्र न हो जाए । पूना में अछूत को गले में मिट्टी की हाँडी लटका कर चलना पड़ता था । ताकि उसे थूकना हो तो उसमें थूके क्योंकि भूमि पर थूकने से यदि उसके थूक पर किसी हिन्दू का पैर पड़ गया तो वह अपवित्र हो जाएगा ।

जबकि हिन्दू जाति व्यवस्था में ब्राम्हणों को सर्वोच्च स्थान प्राप्त था जातिवादी असमानता के विरूद्ध और सबकी समानता के लिए चलने वाले किसी भी संघर्ष की धार ब्राम्हणों के खिलाफ होनी स्वाभाविक ही थी । इसके साथ ही दूसरी कई बातें भी इस रूझान को मजबूत कर रही थीं । ज्योतिबा की पीढ़ी पेशवा बाजीराव द्वितीय के शासन के भयावह दिनों को भूल नहीं सकती थी । बाजीराव द्वितीय के दौर में जो स्थिति थी, उसके बारे में ज्योतिबा के जीवनी लेखक की ने लोकहितवादी से उदाहरण दिया कि ''सूखे या अकाल के जमाने में भी अगर किसान उसे उसका निश्चित हिस्सा नहीं दे पाते थे तो जलते हुए कड़ाहों से उबलता हुआ तेल उनके बच्चों के शरीर पर डाला जाता था । उनकी झुकी हुई पीठों पर कोड़ों की मार पड़ती थी और दम घोंट देने वाले धुएँ में उनका सिर दे दिया जाता था । उनकी नाभि और कानों में बारूद के विस्फोट किए जाते थे।

सदियों से इस देश का दलित अपमान, परतन्त्रता और आर्थिक दरिद्रता का जीवन जीता रहा है । यह जीवन उसने स्वयं स्वीकार नहीं किया बल्कि वर्ण–व्यवस्था के द्वारा उसको ऐसा जीवन जीने के लिए बाध्य किया जाता रहा है । ऐसा नहीं कि उसने अपने जीवन में बदलाव के लिए प्रयास न किए हों अथवा अपनी सामाजिक स्वतन्त्रता के लिए आवाज न उठाई हो । लेकिन उच्च वर्ण के लोगो द्वारा हमेशा उसके प्रयासो को कुचला गया है, उसकी आवाज को दबाया गया है ।

आदमी भूखा रह सकता है, नंगा रह सकता है सर्दी गर्मी या बरसात सब कुछ वह खुले आसमान के नीचे रहकर काट सकता है लेकिन घृणा और अपमान का जीवन जीना कदापि नहीं चाहेगा । लेकिन दलितों के जीवन की यह विवशता रही कि उनकों राजनैतिक आर्थिक और सामाजिक सब तरह के अधिकारों से वंचित रखा गया तथा उनको तथाकथित उच्च वर्ण और जातियों के लोगों की सेवा और गुलामी का जीवन जीने के लिए बाध्य किया जाता रहा । मनुष्य द्वारा मनुष्य के शोषण की ऐसी घटना दुनिया के इतिहास में अन्यत्र नहीं मिल सकती ।

***स्वतंत्रता पूर्व अत्याचार की पृष्ठभूमि :–***

स्वतन्त्रता आन्दोलन से पूर्व की बात है । उन दिनों आज के 'अनुसूचित' व 'हरिजन' नाम से जाने जाने वाले लोग शूद्र, अतिशूद्र, अन्त्यज, चाण्डाल, अवर्ण व पंचम वर्ण आदि के नाम से जाने जाते थे ; उनकी उपेक्षा की जाती थी और वे अस्पृश्य (अछूत) माने जाते थे । इन अस्पृश्यों के सड़क पर से निकल जाने के पश्चात तुरन्त पानी छिड़ककर सड़कें साफ की जाती थी । न तो वे रास्ते में थूक सकते थे और नही खाँस सकते थे । जब वे घर से बाहर निकलते तो अपने गले में हंडिया या डिब्बा बाँध कर निकलते, जिससे कि बोलते, खाँसते और थूकते समय वे उनका प्रयोग कर सकें । वातावरण को दूषित होने से बचाने के लिए यह विधि प्रयोग में लाई जाती थी । कहीं–कहीं तो इन असहायों और निर्दोषों के लिये अपने पीछे जमीन से घिसटती हुई झाड़ू बाँध कर चलने का भी कठोर नियम था, जिससे कि उनकी प्रतिच्छाया से उत्पन्न प्रदूषण व अपवित्रता उस झाड़ू से स्वतः साफ होती चली जाए । इस प्राकर अस्पृश्यों की वाणी और छाया तक से भी पूर्ण परहेज किया जाता था । समाज में भी उन्हें निम्नतम स्थान प्राप्त था – अधम, नीच, पापी और चांडाल जैसे अपमानजनक शब्दों से इन्हें संबोधित किया जाता था । इस प्रकार वे सामाजिक रूप से अपमानित और विघटित, आर्थिक रूप से अविकसित, विपन्न व निर्धन राजनैतिक रूप से सवर्णो के जर खरीद गुलाम, शिक्षा और संस्कृति ज्ञान से सदैव अनभिज्ञ रहे । वे अस्पृश्य ही पैदा होते थे और अस्पृश्य ही मर जाते थे। मन की साधना मन में रहकर चिता की अग्नि में नश्वर शरीर के साथ विलीन हो जाती थी । इसके सिवाए उनके पास न कोई विकल्प था और न ही इन सब कुप्रथाओं का विरोध करने का साहस ।

***डॉ. बाबासाहेब के साथ हुए अत्याचार :–***

अपने स्कूली जीवन में आम्बेडकर को जातियता पर आधारित अनेकों विसंगतियों का सामना करना पड़ा । अस्पृश्य होने के कारण उन्हें स्कूल में अन्य छात्रों से अलग बिठाया जाता । कभी–कभी तो दरवाजे के बाहर ही बैठना पड़ता और बैठने के लिए टाट भी अपने घर से लाना पड़ता । वह इच्छा होते हुए भी क्रिकेट, फुटबाल जैसे खेल नहीं खेल सकते थे क्योंकि उनके सहपाठी उन्हें अपने साथ खिलाना पसन्द नहीं करते थे । अध्यापक उनकी किताबों और कापियों को हाथ नहीं लगाते थे । कई अध्यापक तो अस्पृश्य छात्रों से न तो कोई प्रश्न पूछते थे और न ही कविता पाठ आदि करवाते थे, क्योंकि वे प्रदूषित और अपवित्र होने से डरते थे । जब इन्हें प्यास लगती तो ये अपना मुँह ऊपर कर देते फिर कोई सवर्ण छात्र या स्कूल का कर्मचारी काफी ऊँचे से किसी छड़ी में लगे डिब्बे से (जो विशेष रूप से अस्पृश्यों के लिए होता था) पानी मुँह में डालता, तब कहीं पानी मिल पाता । छात्र या कर्मचारी की अनुपस्थिति में कभी–कभी तो प्यासे ही रह जाना पड़ता और घर पहुँचने के पश्चात् ही पानी नसीब होता । संस्कृत भाषा तब भी अस्पृश्यों को नही पढ़ाई जाती थी । इसलिए डॉ0 बाबा साहेब भीमराव आम्बेडकर को संस्कृत के स्थान पद अनिच्छापूर्वक द्वितीय भाषा के रूप में फारसी भाषा को लेकर ही सन्तोष करना पड़ा फारसी भाषा में उन्होंने सर्वाधिक अंक अर्जित किए । एक गाड़ीवान ने उन्हें और उनके बड़े भाई को अस्पृश्य होने के कारण बैलगाड़ी में ले जाने से मना कर दिया । नाई उनके बाल नहीं काटता था, इसलिये उनकी बहन मीरा घर पर ही उनके बाल काटा करती थी ।

गर्मीयों का मौसम था भीम स्कूल से अपने घर लौट रहे थे। राह लम्बी थी, गर्मी तेज थी, भीम को प्यास लग गई। यहाँ–वहाँ नजर दौड़ाई तो एक कुआँ नजर आया, और भीम ने कुएँ पर रखी बाल्टी से स्वयं पानी खींच कर, पानी पी लिया। इतने में कुछ व्यक्तियों को पता चल गया और उन्होंने निर्ममता और निर्दयतापूर्वक भीम की पिटाई की । भीम देर तक रोते रहे, और रोते–रोते निराश हो अपने घर लौट आए ।

एक दिन भीम स्कूल जा रहे थे रास्ते में पहुँचे थे कि यकायक सारा आकाश बादलों से घिर गया और जोर–जोर से मूसलाधर वर्षा होने लगी । तेज वर्षा के कारण बालक भीम ने पास के एक मकान की दीवार के सहारे खड़े होकर वर्षा से बचना चाहा । उस मकान की एक महिला भीम के बारे में जानती थी कि वह अछूत

**Please cite this Article as:** *डॉ. सुनिल धावने ,भारतीय समाज में दलितों पर अत्याचारों की स्थिति : ऐतिहासिक एवं वर्तमान* **: Indian Streams Research Journal (March ; 2012)**

Indian Streams Reserach Journal
Vol.2,Issue.II/ March; 12pp.1-4

है । फिर क्या था, वह औरत बेदर्दी से भीम पर पिल पड़ी और उसे बरसते पानी में ढकेल दिया । उसकी किताबें कापियाँ खराब हो गई और वह भी मिट्टी से पूरा लथपथ हो गया ।

***स्वतंत्रता के पश्चात् देश में हुये अत्याचार :–***

आज भी भारत के सभी राज्यों में ऐसी घटनाएँ घट रही हैं कि जिनकी प्रत्येक सुशिक्षित आदमी निन्दा करेगा। क्योंकि साहित्य न केवल समाज का दर्पण होता है, बल्कि उसका मार्ग दर्शक भी, तो ऐसी दुर्घटनाओं की जिम्मेदारी यदि मनुस्मृति सदृश्य ग्रंथों पर नहीं डाली जाएगी, तो अन्य किसी साहित्य परम्परा पर डाली जाएगी। 1969 में भारतीय सरकार ने देश में अछूतपन के बारे में सही सही जानकारी प्राप्त करने के लिए श्री पेरूमल की अध्यक्षता में जो कमेटी स्थापित की थी, उसने भारत के सभी राज्यों का दौरा कर जिन तत्वों को सामने रखा है, वह किसी की भी आँख खोल देने के लिए पर्याप्त है। यहाँ उनमें से कुछ थोड़ी सी घटनाओं या दुर्घटनाओं का उल्लेख किया जा रहा है।

***वर्तमान मे अनुसूचित जाति वर्ग के साथ हुए अत्याचार :–***

26 जनवरी बहादुरपुर गाजियाबाद – दलित महिला मजदूर शकुन्तला को 26 जनवरी को अपहृत करके उसकी इज्जत लूटी और उसके परिवार के अन्य मजदूरों को बन्धुआ मजदूर की तरह से जीने पर मजबूर किया जा रहा है। इस अपहरण में चौकीदार खचेडू सहित तीन लोग शामिल थे।

मुरादाबाद 26 जुलाई – छोटे लाल जाटव की बेटी जब खेत में घास खोद रही थी तब उसी के गॉव रसूलपुर के चार नौजवानों ने उसके साथ मुँह काला किया। गॉव का ही एक व्यक्ति घटना का चश्मदीद गवाह है, लेकिन डर के कारण वह मुँह नही खोल रहा है। पुलिस ने इस सिलसिले मे रामपाल को गिरफ्तार किया, लेकिन उसका चालान नही किया। यह घटना रजवपुर थाने के रसूलपुर गाँव की हे। इसी थाना क्षेत्र के रामपुर गाँव मे एक अन्य घटना मे गाँव के कुछ प्रभावशील लोगो ने किशनलाल की पत्नी की इज्जत लूटने के बाद उसका गला घोंटकर मार डाला। पुलिस ने अभियुक्तों के विरूद्वरिपोर्ट दर्ज करने से इन्कार कर दिया। किशनलाल (जिसकी पत्नी के साथ यह हादसा हुआ) को पुलिस ने डराया धमकाया तथा अभियुक्त द्वारा भी डराया धमकाया गया है।

लखीमपुर जिले के लक्ष्मीपुर गाँव मे दलित बालिका के साथ सामूहिक बलात्कार के बाद हत्या के दर्दनाक काण्ड के बाद भी पुलिस अपराधियों को पकड़ने मे असमर्थ है, बल्कि इससे बढ़कर तहकीकात के बहाने दलित महिलाओं के साथ छेड़छाड़ करने और धमकाने के आरोप पुलिस पर लगाये जा रहे है। बताया जाता है कि नाबालिग दलित बालिका की हत्या की जॉच शुरू हुई तो पुलिस ने हरिजनो पर अत्याचार शुरू किये, पुलिस उनके घरो की महिलाओं और लड़कियों के साथ अश्लील हरकते करने लगी और मृत बालिका की दादी को पीटा और उसकी माँ के साथ अभद्र व्यवहार किया। आपत्ति करने पर पुलिस ने उनके हरिजनो की पिटाई कर डाली और साथ ही यह धमकी दी कि चुप रहो नहीं तो हर हरिजन औरत के साथ मुँह काला किया जाएगा और खुलासा करने पर झूठे मुकदमो में जेल भेज दिया जाएगा।

गाजियाबाद – इंका नेता सौराज सिंह करीब दर्जन भर वाहनो में सवार होकर हथियार लिए 7 मई 1991 को हरिजन बस्ती 'चरण सिंह' आए और एक किशोर से मार पीट शुरू कर दी। बस्ती के लोग मार पीट का कारण जानने के लिए जैसे ही वहाँ जमा हुए तो हमलावरों ने लाठी, चाकु , बल्लियों और यहाँ तक कि गोलियाँ भी चलाना शुरू कर दी, इतना ही नही उन्होंने बस्ती के कच्चे मकानो में आग लगा दी। करीब ढ़ाई घंटे तक यह काण्ड होता रहा। आग से डेढ़ सौ से अधिक मकान जल गए और दस लोग घायल हो गए। बस्ती के लोगो का आरोप है कि यह हमला पुलिस की मिली भगत से हुआ। सौरव सिंह नगर पालिका में इंका के प्रतिनिधि हैं। उन्होंने कुछ दिन पहले चरण सिंह धाम की जमीन पर कब्जा जमा लिया। मामला स्थानीय न्यायालय में गया, लेकिन सौराज के प्रभाव के कारण नगरपालिका की किसी तरफ से मुलजिम के खिलाफ अदालत में कोई पैरवी नहीं हुई, और फैसला सौराज सिंह के हक मे हुआ। फैसले के बाद कब्जा जमाने के लिए यह कार्यवाई सौराज सिंह ने की। पुरी – उड़ीसा जनता दल के उपाध्यक्ष सौभाग्य रावत को एक दलित लड़की के अपहरण और इज्जत पर हमला करने के अभियोग में गिरफ्तार किया गया हैं। लडकी को नौकरी दिलाने के लालच में एक गर्ल फ्रैण्ड के द्वारा बहकाया गया था, सौभाग्य रावत द्वारा इस्तेमाल की गई मोटर साइकिल जो पुलिस ने पकड़ी है एक राज्य कैबिनेट मंत्री की है।

सोनीपत – यहॉ सिक्का कालोनी में 15 वर्षीया दलित लड़की के साथ चार हमलावरों ने मुॅह काला किया और फरार हो गए। उस समय उन्होने लड़की के पति को रस्सी से बॉध दिया था। तीन अभियुक्त गिरफ्तार किए गए है जिनका जुर्म डाक्टरी परीक्षण में सिद्वहो चुका है।

जनता दल के दलित विधायक किशोर सखवार ने विधान सभा में अपनी व्यथा सुनाते हुए कहा कि उनके ही क्षेत्र में एक थानेदार ने सिर्फ उनको गालियॉ ही नही दी, बल्कि अपमानित करके थाने से निकलवा दिया। इस विशेषाधिकार भंग की सूचना विधानसभा अध्यक्ष को देकर तब उक्त विधायक ने फैसला चाहा तो अध्यक्ष ने कहा, ''विशेषाधिकार भंग की सूचना मैने अमान्य अवश्य कर दी है, परन्तु मैंने शिकायत को गम्भीरता से लिया है।

महाराष्ट्र के परभणी जिले के पिन्ट्री देशमुख गॉव के एक पुलिस की सवर्ण हिन्दुओं ने पत्थर मारकर हत्या कर दी। यह घटना 16 अगस्त को हुई, जबकि वह हनुमान मंदिर की सीढ़ियों पर वर्षा के पानी से बचने के लिए खड़ा हो गया था।

गुलबर्गा – 16 अक्टूबर। बीजापुर के एक गॉव में हरिजनों को बुरी तरह पीटा गया यहॉ तक कि उनमें से एक को जबरन पेशाब पीने पर मजबूर किया गया। सवर्णो के एक गिरोह ने घातक हथियारों से मुद्दे बिहाल तालुक के तमादादी के पास स्थित हरिजन कालोनी पर हमला कर दिया और एक तरफ से मर्दो और औरतों को मारा पीटा, इस हमले मे कम से कम दस लोग घायल हुए। सवर्णो की भीड़ ने पीछा करके हरिजनों को मारा और एक व्यक्ति हनुमन्ता को मूर्छित कर दिया। जब उसके सम्बन्धियों ने उसे पानी पिलाना चाहा तो सवर्ण वहॉ आ गए और औरतों को धमकाने लगे तथा हनुमन्ता को बाध्य करके पेशाब पिलाया। तमादादी के हरिजनों का सवर्णो ने सामाजिक बहिष्कार कर दिया है और काम देने से इन्कार कर दिया है, यहॉ तक कि तमाम नागरिक सुविधाओं तक पहुॅचने से रोक दिया है। पुलिस और जिला प्रशासन पूरे मामले को दबाने का प्रयास कर रहा है। दलित संघर्ष समिति के डी.जी. सागर के अनुसार 24 सितम्बर को गॉव के कुछ दलित चिनप्पा होटल पर गए और दूसरो की तरह स्वयं को भी चाय परोसने के लिए जिद किया, जिससे सवर्णो को कष्ट पहुॅचा और उन्होंने हरिजनों को सबक सिखाने का फैसला किया।

हैदराबाद – आन्ध्र प्रदेश की समाज कल्याण मंत्री श्रीमती लक्ष्मी देवी पर एक सीनियर मंत्री जे.सी. दिवाकर रेड्डी ने दलित महिला का नाम उसकी जाति के साथ लिया, तो विधान सभी मे हंगामा हो गया। श्री रेड्डी ने इस बात से इन्कार किया उन्होने श्रीमती लक्ष्मी देवी के विरूद्व अपमानजनक रिमार्क पास किया है।

कादीथगी गॉव जहॉ वनियार बहुसंख्यक है में एक दलित का शव घर में रखा रहा, क्योंकि उसे वनियारों ने अपने इलाके से जाने वाली आम सड़क से होकर कब्रिस्तान नही जाने दिया। पिछले दिनों से यहॉ के दलित अपने शवों को अपने झोपड़ी के पास ही दफन करते है। 1987 तक दलित अपने अहाते में ही शव को दफन करते थे, क्योंकि वनियार उन्हे कहीं और नही दफन करने देते। स्वास्थ्य प्रशासन ने इस परम्परा को स्वास्थ्य के लिए हानिकारक करार दिया और कोलीदम नदी के किनारे एक जगह दे दी जिसका

**Please cite this Article as:** *डॉ. सुनिल धावने ,भारतीय समाज में दलितों पर अत्याचारों की स्थिति : ऐतिहासिक एवं वर्तमान* **: Indian Streams Research Journal (March ; 2012)**

रास्ता वनियारों की गलियों से है। वनियारों का कहना है कि दलित शवों से उनकी गलियॉ अपवित्र हो जाती है।

एक दूल्हे के भाई को सवर्ण जाति के शरारती तत्वों ने चाकुओं से गोदकर मार डाला और भतीजे को घायल कर दिया। झगड़ा उस समय शुरू हुआ जब कि त्यागी जाति के लोगो ने दूल्हे को घोड़े पर चढ़ने से रोका। इन लोगो ने इससे अपना अपमान मसहूस किया। बाद में जब हरिजनों ने इसकी परवाह न की तो रविदास मंदिर पर उन लोगो ने औरतों के साथ छेड़छाड़ की तो शादी की तमाम खुशियॉ हिंसा में बदल गई।

### *निष्कर्ष*

अतः निष्कर्ष के रूप में कहा जा सकता है, कि अत्याचार का क्षेत्र व्यापक व विस्तृत होता जा रहा है, इसमें ऐसे अपराध सम्मिलित है, जो समाज व देश के विकास मे बहुत बड़ी बाधा है। अन्याय, शोषण, पीड़ा, बलात्कार, हत्या, हत्या का प्रयास, अपहरण, आगजनी, छेड़छाड़, फसल नष्ट करना, जमीन पर कब्जा करना, शारीरिक छेड़छाड, चिढ़ाना, गाली देना, डकैती, चोरी, चैन झपटना आदि ऐसे अपराधो पर अंकुश लगाने के लिये गरीब, अशिक्षित, कमजोर वर्ग, पिछड़े हुऐ लोगो में शिक्षा एवं जागरूकता लाना आवश्यक है। इसके साथ ही पुलिस एवं प्रशासन तत्परता से कठोर कार्यवाही कर या अपराधियों को कानून व्यवस्था द्वारा कठोर दण्ड दिलवाये एवं अपराधो की रोकथाम के लिए सेमीनार, संगोष्ठीयों का आयोजन करे, सभी अपराधों पर अंकुश लगेगा और आम आदमी इन्दौर जैसे महानगर मे निडर होकर सुरक्षित महसूस करने लगे एवं सुचारू रूप से अपना जीवन–यापन कर अपना जीवन स्तर ऊँचा उठा सके।

### *संदर्भ ग्रंथ सूची*

1. अवस्थी, शैलेन्द्र कुमार, (1997) ''भारतीय दण्ड संहिता 1986'' अशोक लॉ हाऊस, नई दिल्ली
2. अशोक, डी. पाटिल (2000) ''सामाजिक अनुसंधान के मूलतत्व'' मध्यप्रदेश हिन्दी ग्रन्थ अकादमी, भोपाल
3. आहूजा, राम एवं मुकेश (1998) ''विवेचनात्मक अपराधशास्त्र'' रावत पब्लिकेशन, जयपुर एवं नई दिल्ली।
4. उमर, मोहद (1998) ''ब्राइट बर्निंग इन इण्डिया'' सोसो लिगल स्टडी ए. वी.एच. पल्बिशिंक कारपोरेशन, नई दिल्ली।
5. कपाड़िया प्रेम (2001) '' दलित उत्पीड़न उत्तरप्रदेश की दास्तान ''भारतीय सामाजिक संस्थान नई दिल्ली।
6. किशोर, राज (2004) ''हरिजन से दलित'' वाणी प्रकाशन, नई दिल्ली।
7. किरण बघेल (1990) ''अपराधशास्त्र एवं प्रशासनिक दण्ड शास्त्र'' पुष्पराज प्रकाशन, रीवा
8. गौतम, रामअवतार, कमलकांत प्रसाद (2001) ''अपने अस्तित्व के लिए संघर्षरत मध्यप्रदेश के दलित ''भारतीय सामाजिक संस्थान, नई दिल्ली।
9. घोष, आशीष (1999)'' दलित्स एण्ड पीसेट्स'' ज्ञान सागर पब्लिकेशन, दिल्ली।
10. तेलतुम्बड़े, डॉ. आनन्द (2001) ''ग्लोबलाइजेशन एण्ड द दलित'' साकेत प्रकाशन, नागपुर
11. धावने एस. (2004) दलितों पर अत्याचार' हरियाणा के झज्जर जिले के संदर्भ में''(संकलन) डॉ. बाबासाहेब आम्बेडकर राष्ट्रीय सामाजिक विज्ञान संस्थान, डॉ. आम्बेडकर नगर (महू)
12. धावने, एस (2006) ''सामन्तवाद बनाम दलित अत्याचार हरियाणा के गोहाना काण्ड के संदर्भ में (संकलन) डॉ. बाबासाहेब आम्बेडकर राष्ट्रीय सामाजिक विज्ञान संस्थान, डॉ. आम्बेडकर नगर (महू)
13. नाईक सी.डी. (1999) ''डिग्री ऑफ अनटचेबल्स् रूरल ऐरिया विथ स्पेशल रिफ्रेन्स टू महू तहसील'' डॉ. बाबा साहेब आम्बेडकर राष्ट्रीय सामाजिक विज्ञान संस्थान, डॉ. आम्बेडकर नगर (महू)
14. प्रकाश, जी, (1998) ''सोशल शिड्यूलकास्ट एण्ड द कास्ट सिस्टम ''रावत पब्लिकेशन, जयपूर
15. महला, एन. के, राजीव गुप्ता, जयप्रकाश शर्मा, रवि श्रीवास (1994) ''वर्ग, विचारधारा एवं समाज, रावत पब्लिकेशन, जयपुर।
16. मिश्र, जयशंकर (2004) ''प्राचीन भारत का सामजिक इतिहास'' बिहार हिन्दी ग्रंथ अकादमी, पटना
17. त्रिपाठी, रेवती (1994) ''दलितस : ए. एब हूमन सोसायटी'' आशीष पब्लिशिंग हाऊस, नई दिल्ली
18. त्रिपाठी सुरेन्द्र (1976) ''अनुसंधान एवं सर्वेक्षण की पद्धतियाँ'' मध्यप्रदेश हिन्दी ग्रन्थ अकादमी, भोपाल
19. त्रिभुवन ज्योत्स्ना (1989) ''अनुसूचित जाति, जनजाति अधिनियम 1989 एवं अधिनियम 1995 लॉ रिलटिंग टू वूमेन'' इण्डिया पब्लिशिंग कम्पनी, इन्दौर

**Please cite this Article as:** *डॉ. सुनिल धावने ,भारतीय समाज में दलितों पर अत्याचारों की स्थिति : ऐतिहासिक एवं वर्तमान* **: Indian Streams Research Journal (March ; 2012)**